

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

के अधीन विद्युत सुरक्षा विभाग

क्रमांक: 5372

क्रमांक 5-1-1-1

क्रमांक 1-1-1-1

(कार्यपूरक प्रमाण पत्र)

—इसके लिए प्रमाण पत्र (1)

(राज्य सरकार के अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

—इसके लिए प्रमाण पत्र (5)

उपरोक्त/स्वामी का नाम Raj Bahadur Singh Rajju

पिता/पति का नाम Shri Nathu

पता Vihhagh - Manpara Block (Bharatpur)

परिसर की अवस्थिति

वोल्टता और प्रदाय की प्रणाली 440V (1)

(1) बोल्टता 440V । इस प्रणाली के तहत प्रमाण

(2) कलाओं (फेजों) की संख्या 3 Phases (5)

(3) ए0सी0/डी0सी0 AC (6)

वायरिंग का प्रयोजन Lighting & Power (8)

वायरिंग का प्रकार (बटन, कनडयूट इत्यादि)

संस्थापन की विशिष्टियाँ

| क्रम संख्या | आइटम | 220/230 वोल्ट | | | | | | 440/400 वोल्ट | | उच्च अतिउच्च बोल्टता संस्थान |
|-------------|---------------------|---------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------------|------------|------------------------------|
| | | फेज - 1 | | फेज - 2 | | फेज - 3 | | संख्या | कुल क्षमता | |
| | | संख्या | वाट | संख्या | वाट | संख्या | वाट | | | |
| 1 | बत्तियों के प्वाइंट | 2x60=120 | | | | | | | | |
| 2 | पंखों के प्वाइंट | | | | | | | | | |
| 3 | प्लग प्वाइंट | | | | | | | | | |
| 4 | मोटर/जन्चरेटर | | | | | | | | | |
| 5 | फ्रिज | | | | | | | | | |
| 6 | कूलर | | | | | | | | | |
| 7 | टी0वी0 | | | | | | | | | |
| 8 | ए0सी0 | | | | | | | | | |
| 9 | ट्यूब लाइट | | | | | | | | | |
| योग | | 120 | | | | | | | 5595 | |

11. अन्य उपस्कर (पूरा ब्यौरा दिया जाये) 120 + 5595 = 5715 watt

- 1.
- 2.

जेड0 ए0 इलेक्ट्रिकल्स
सिनेमा रोड
हरदोई

कुल संयोजित भार किलो वाट में— 5.7 km
अधिकतम करंट भाग एम्पियर में— 12 A
(कुल संयोजित भार के आधार पर)

लाईसेन्स संख्या एच0आई0-58
वैधता का दिनांक—31-03-2024

विद्युत का रिसाव (विद्युतरधी प्रतिरोधी कम से कम एक मैगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना

(3)

जेड0 ए0 इलेक्ट्रिकल्स

सिनेमा रोड , हरदोई
विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम
लाइसेन्स संख्या एच0आई0 -58
लाइसेन्स श्रेणी-ग
वैधता का दिनांक 31-03-2024

ठेकेदार के हस्ताक्षर

For Z.A. Electric

Proprietor

घोषणा (उपभोक्ता द्वारा की जाय)

(मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित भातों एवं भारतीय विद्युत नियम 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार से किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता..... एम्पीयर से अधिक नहीं हैं तथा संस्वापन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा अनुज्ञा द्वारा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

दिनांक 09/10/2023

उपभोक्ता का नाम व हस्ताक्षर

परीक्षण रिपोर्ट (सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

विद्युत रोधी प्रतिरोधी का परिणाम

| | फेंज-1 व अर्थ | फेंज-2 व अर्थ | फेंज-3 व अर्थ |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) फेंज एवं अर्थ के बीच- | | | |
| | फेंज-1 व अर्थ | फेंज-2 व अर्थ | फेंज-3 व अर्थ |

(2) तार से बीच-

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियां (यदि कोई हो) एवं कमियों को दूर करने हेतु कृत कार्यवाही-

1.

2.

3.

4.

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर
पदनाम

दिनांक.....

विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक